भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 1426
जिसका उत्तर 10.02.2022 को दिया जाना है
पथकर संग्रह

1426. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सड़क यात्रियों को तमिलनाडु और कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) पर अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने की तुलना में प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए अधिक पथकर राशि का भुगतान करना पड़ता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अन्य प्रमुख राज्यों, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 3000 किलोमीटर से अधिक है, की तुलना में उक्त दो राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने के लिए प्रति किलोमीटर प्रभारित किए जाने वाले पथकर का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को उक्त दो राज्यों से पथकर की बढ़ी हुई दर को वापस लेने और दस वर्ष से अधिक पुराने टोल गेटों पर पथकर की वसूली को रोकने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) पथकर के रूप में वसूल किए जाने वाले शुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया और कारकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। हालांकि ,राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजाओं को बंद करने के लिए कई राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार के सभी वाहनों को ड्यूटी पर छूट देने ,राज्य परिवहन निगमों की सभी बसों को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008के तहत असीमित यात्राओं की अनुमति देने और राज्य परिवहन उपक्रम को उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से छूट देने के अनुरोध भी प्राप्त हुए थे। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नीति के मद्देनजर ,भारत सरकार द्वारा ऐसे सभी अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क दरें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 **और उसके संशोधन के अनुसार तय की जाती हैं। उक्त नियमों के नियम 4 एवं 5 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए शुल्क की दर, आधार वर्ष 2007**-08 **के लिए, ऐसे खंड की लंबाई को निम्नलिखित दरों से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल होगा। अर्थात्:-**

वाहन का प्रकार	**शुल्क की आधार दर प्रति किमी (रुपये में)**
कारवैन या हल्के मोटर वाहन ,जीप ,	**0.65**
लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुडस व्हीकल या मिनी बस	**1.05**
बस या ट्रक (दो धुरी)	**2.20**
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	**2.40**
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (ईएमई) या मल्टी एक्सल व्हीकल (एमएवी)	**3.45**
बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	**4.20**

ऊपर निर्दिष्ट दरों को भी बिना चक्रवृद्धि के, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल, 2008 से तीन प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा और इस तरह की बढ़ी हुई दरों को बाद के वर्षों के लिए आधार दर माना जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लागू आधार दरों को वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

हालांकि, निजी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जिनके लिए अनुबंध निष्पादित किए गए थे और 5 दिसंबर, 2008 से पहले बोलियां आमंत्रित की गई थीं, लागू राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 1997 और संबंधित रियायत समझौतों के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लिया जा रहा है।

*****